# आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2014 को जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
2. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
3. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।

## –: कार्यवाही :–

पूर्व में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की बैठक माह नवम्बर, 2013 में दिनांक 02.11.2013 को आयोजित की गई थी। सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 613/जि.विधि, दिनांक 02.11.2013 द्वारा सभी संबंधितों को भेजी गई है।

तदनुसार बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एवं अधिनियम की धारा 60 के तहत् जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

गत् बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुलिस पदाधिकारियों पर लगाये गये कतिपय आरोपों के संबंध में विमर्शोपरांत संबंधित सभी परिवादियों को पुनः अंतिम रूप से सूचना निर्गत करने हेतु निर्णय लिया गया। इस हेतु तिथि निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया।

विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक तिमाही में प्राधिकरण की नियमित बैठक की जाय। इस हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, किशनगंज समय–समय पर तिमाही प्रतिवेदन के माध्यम से मामले को प्राधिकरण के समक्ष लायेंगे और प्राधिकरण उस पर विचार करेगी।

विमर्शोपरांत अधिनियम की धारा 61 के तहत् पुलिस अधीक्षक कैलेण्डर वर्ष 2013 का वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी कहा गया कि गठित जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार क्षेत्र/विभिन्न जन बैठकों में किया जाय ताकि जिला

उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सार्थकता से आम जन अवगत हो सके तथा पुलिस एवं आम जन के साथ सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुदृढ़ हो सके।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
–सह–अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।

ज्ञापांक [V-09/2008-14] 27 /जि.विधि., किशनगंज, दिनांक 03.02.2014.

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को पत्रांक 273/सी., दिनांक 06.03.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव/अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 6567, दिनांक 03.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता
–सह–अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।